3 5

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवम् विकास निगम
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के आधीन भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SAFAI KARAMCHARIS FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Under the Ministry of Social Justice & Empowerment)

An ISO 9001 : 2000 Certified Company

रासकविनि/परि./आर.टी.आई./88/2009 | 1283 दिनांक : 31.12.2009

श्री मोहम्मद रईस,
ऋषि राज भवन,
466/आर/11/, फायर स्टेशन के सामने, चौक,
लखनउ, उत्तर प्रदेश

विषयः **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री मोहम्मर रईस, ऋषि राज भवन, 466/आर/11, फायर स्टेशन के सामने, लखनउ द्वारा 'गरीबी रेखा से नीचे' आने वाले परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं संबंधी जानकारी प्रदान करने बाबत्।**

महोदय,

रासकविनि को निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अभिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 19013/02(पी.टी) /आर.टी.आई./2009-एस.सी.डी.-4 दिनांक 21.12.2009 के तहत आपका पत्र दिनांक 15.10.2009 इस निगम को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अतंगत जानकारी प्रदान करने हेतु प्राप्त हुआ है।

इस संदर्भ में कृप्या आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वांछित सभी सूचनाएँ इस पत्र के साथ आपकी जानकारी हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

धन्यवाद

भवदीय,

वी के परवन्दा

(वी. के. परवन्दा)
सहा. महा प्रबन्धक एवं सचिव

प्रतिः सेवा में,
निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को जानकारी हेतु प्रेषित।

Harish/hindi/hindi_30_1

बी–2, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव भाग-II, (सावित्री क्रासिंग) नई दिल्ली–110048
B-2, Ist Floor, Greater Kailash Enclave Part-II, (Savitri Crossing) New Delhi - 110 048
Phone : 011-29216330, 29221331 Fax :011- 29222708

आई.एस.ओ. 9000 : 2000 प्रमाणित कम्पनी

संगठन

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंर्तगत 24 जनवरी, 1997 को निगमित किया गया। निगम की कुल प्राधिकृत अंश पूँजी रू.300 करोड है एवं प्रदत्त पूँजी रू.260 करोड़ है।

लक्ष्य

रासकविनि का लक्ष्य सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार व उनके आश्रितों को उनके पारम्परिक पेशे को छुडाकर, उनकी दबी हुई सामाजिक दशा को सुधारना और उन्हें गरीबी से उपर उठाना है ताकि वह इस समाज में सामाजिक व आर्थिक सीढी चढकर सम्मान और गर्व से जीवन यापन कर सकें।

उद्देश्य

सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आय अर्जित करने वाली परियोजनाओं हेतु रियायती दर पर ऋण प्रदान करना और लक्षित समूह के विद्यार्थियों को व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना।

व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रक, तकनीकी सुधार तथा स्वच्छता के कार्य हेतु विभिन्न सुविधा केन्द्र स्थापित करना।

पात्रता

लाभ लेने वाला स्वच्छकार/सफाई कर्मचारी और उन पर आश्रित राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुर्नवास योजना/सर्वेक्षण/सफाई कर्मचारी सभा/कानूनी/ रजिस्टर्ड सहकारी सभा वैधानिक संगठित संध, के अंर्तगत चिन्हित होना चाहिए लाभार्थी व्यक्ति सफाई कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी संस्था या लक्षित समूह द्वारा कानूनी रूप से 'गठित संस्था का सदस्य होना चाहिए। यदि लक्षित समूह का कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण के अर्न्तगत नहीं आ पाया है तो उसे स्थानीय राजस्व अधिकारी/स्थानीय नगर निकाय अधिकारी/छावनी कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी, सरकारी विभागों के प्रमुख जैसे कि स्कूल, कॉलेज, फारेस्ट, स्वास्थय, शिक्षा, पशुपालन जिनका पद राजपत्रित्र अधिकारी से नीचे न हो, नगरपालिका/निगम के निर्वाचित सदस्य एवं ग्राम पंचायत के प्रधान से प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा।

1993 एक्ट की धारा 3 के अधीन, स्वच्छकार का अर्थ है वह सफाई कर्मचारी जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हाथ से मानव मल उठाने का कार्य करता है जिसमें उनके आश्रित भी शामिल हैं। सफाई कर्मचारी का अर्थ है वह व्यक्ति जो स्वच्छता (सेनीटेशन) से सम्बन्धित कोई भी कार्य करता हो इसमें उनके आश्रित भी सम्मिलित हैं।

सफाई कर्मचारी या स्वच्छकार के आश्रित से अभिप्राय उनके परिवार के वे सदस्य हैं जो उनपर आश्रित हों एव 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हों। प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष है।

निगम की ऋण नीति एवं मार्गदर्शिका के अनुसार लक्षित समूह का योग्य चयनित व्यक्ति रासकविनि की योजनाओं के अंर्तगत केवल एक बार ही लाभ उठा सकता है।

ऋणों के प्रकार

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रति लाभार्थी / प्रति इकाई स्वीकृति सीमा	ब्याज दर		पुर्नभुगतान अवधि
			रासकविनि से राज्य माध्यम अभिकरण	राज्य माध्यम अभिकरण से लाभार्थी	
1	सामान्य मियादी ऋण योजना (स्वच्छता आधारित गतिविधियों जैसे कि वैक्यूम लोडर, गारबेज डिस्पोजल वाहन एवं सक्शन मशीन आदि)	रू.10.00 लाख तक	3%	6%	5 वर्ष
2	लघु ऋण योजना (एम.सी.एफ.)	रू.30,000/- तक	2%	5%	3 वर्ष
3	महिला समृद्धि योजना (एम.सी.एफ.)	रू.30,000/- तक	1%	4%	3 वर्ष
4	महिला अधिकारिता योजना (एम.ए.वाई.)	रू.50,000/- तक	2%	5%	5 वर्ष
5	रू.1.00 लाख तक की योजनाएँ	रू.1.00 लाख तक	3%	6%	5 वर्ष
6	शिक्षा ऋण	रू.7.50 लाख भारत में एवं रू. 15.00 लाख विदेश में शिक्षा के लिए	1%	4%	5 वर्ष

शिक्षा ऋण

शिक्षा ऋण सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार व उनके आश्रितों को व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा स्नातक व स्नातकोतर तक प्रदान करने के लिए दिया जाता है और इंजिजियर, चिकित्सा, प्रबन्धन, कानून की उच्च शिक्षा, फिजियोथैरिपी में डिप्लोमा, पैथोलजी, नर्सिंग, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड टूरिजम, जैनेटिक केयर एवं स्नातक व स्नातकोतर स्तर पर शैक्षणिक कोर्सों जैसे कि बी.एड., पीएच. डी., भाषा कोर्सो बी.सी.ए., एम.सी.ए., जर्नलिजम एवं मास कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा आदि के लिए भी दिया जाता है। ऋण कुल खर्चे का 90 प्रतिशत व अधिकतम राशि रू.7.50 लाख भारत में शिक्षा के लिए एवं रू.15.00 लाख विदेश में शिक्षा के लिए या राशि रू.187250/- प्रतिवर्ष (भारत) एवं राशि रू.375000/- प्रतिवर्ष (विदेश) में शिक्षा के लिए दिया जाता है। बकाया 10 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण /लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

ब्याज दर

रासकविनि से राज्य माध्यम अभिकरण	1 प्रतिशत
राज्य माध्यम अभिकरण से लाभार्थी	4 प्रतिशत

प्रशिक्षण

स्वच्छकारों सहित सफाई कर्मचारियों और उनके 17 से 40 वर्ष के आश्रितों को उद्योग-सेवा-व्यवसाए क्षेत्रों में आय-जनन कार्यकलाप चलाने हेतु किसी व्यवसाय या कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के

दौरान प्रति प्रशिक्षार्थी राशि रू.1000/- प्रति माह की दर से स्टाईफंड भी दिया जाता है। यह राज्य माध्यम अभिकरण को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है।

जागरूकता शिविर

जागरूकता शिविरों का आयोजन राज्य माध्यम अभिकरणों द्वारा सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकारों की बस्ती में इसलिए किया जाता है कि वह इस धृणित पेशों को छोडकर किसी अन्य सम्मानित कार्य को कर सकें और स्वरोजगाार की अन्य गतिविधियों को अपना सकें। राकसविनि द्वारा कुल रू.15000/- तक प्रति जागरूकता शिविर पुर्नभुगतान किया जाता है।

कार्यशाला

कार्यशालाओं का आयोजन राज्य माध्यम अभिकरणों द्वारा अपने जिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जो भी कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालय में रासकविनि के मामलों को देखते हैं उन्हें रासकविनि की योजनाओं, गतिविधियों व कार्यक्रमों का ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाता है। रासकविनि द्वारा कुल रू.25000/- प्रति कार्यशाला पुर्नभुगतान के रूप में किए जाते है।

रासकविनि से वित्त पोषित इंगित योजनाऐं

रासकविनि द्वार सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकारों और उन पर आश्रितों को आय अर्जित करने के लिए कोई भी वैध योजना पर ऋण दिया जाता है। रासकविनि राज्य माध्यम अभिकरणों को निम्न खण्डों पर प्राथमिकता देता है: -

1. परिवहन
2. लधु एवं छुटकर व्यवसाय
3. गैर भूमि आधारित योजना

परिवहन

मारूतिव वैन, टाटा 407, जीप टैक्सी, इंडिका, मिनीडोर, मिनीडोर पीकअप वैन, डिलिवरी वैन, ऑटो लोड कैरियर, टाटा टूरिस्ट, ट्रेकर, ऑटो रिक्शा, पिकअप वैन, टैम्पो, टिपर।

लधु एवं छुटकर व्यवसाए

टैन्ट आउस, कंक्रीट मिक्सर, मण्डप सजावट, वीडियोग्राफी, स्काफोल्डिंग, मैडिकल शॉप, साईकिल टैक्सी और साईकिल रिपेयर एवं स्टोर, रेडिमेड गारमेंट शॉप, क्लाथ शॉप, इलैक्ट्रिक स्टोर, फर्नीचर की दुकान व लकडी के कारीगरी का सामन, जूता बनाना, सिलाई कढ़ाई, किराना व स्टेशनरी की दुकान, टी.वी./रेडियो की मरम्मत की दुकान, इन्टरनेट, एस.टी.डी./फैक्स बूथ्स, फोटोग्राफी की दुकान, लेडिज इम्पोरियम, हार्डवेयर दुकान, जनरल प्रोविजन स्टोर, साउँड सर्विस, अगरबत्ती उद्योग, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनर, जीराक्स मशीन, कम्पयूटर/टाईप कार्य, बर्तन की दुकान, टायर पंचर की दुकान, पान सिगरेट की दुकान, बैंड पार्टी, धडी मुरम्मत, फेब्रिकेशन कार्य, कैसेट व इलेकट्रीक, लधु होटल व ढ़ाबा, हैल्थ क्लब, प्रिंटिंग प्रेस आदि।

गैर भूमि आधारित योजना

सुअर पालन, मुर्गी पालन, मछली फार्म, डेयरी व दुधारू पशु/खाद की दुकान, बैल गाड़ी, बकरी पालन, उँट गाड़ी व थ्रेसर, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, आटा चक्की।

स्वच्छता पर आधारित यन्त्र

वैक्यूम लोडर, कूड़ा कर्कट हटाने वाला वाहन, शुलभ शौचालय, गंदगी चूसने वाला यन्त्र।